



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com

Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- 842 / 12-1 देहरादून, दिनांक-21 / 08 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand. (Online No-FP/UK/SCH/40755/2019)

संदर्भ :- कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-51 / 1जी-5095(रा0रा0प्रा0) दिनांक 09.07.2025

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा दिनांक 24.06.2025 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय (Fortnightly regional coordination meeting) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को प्रस्ताव का शीर्षक "Renewal" से "post facto approval for diversion" में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रकरण में Chronological Background History के सम्बन्ध में एक Brief Note प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में प्रस्ताव का शीर्षक ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार, संशोधन कर निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया गया है :-

"Ex-post facto approval for diversion of 2.41 ha. forest land for Kendriya Vidyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun district of Uttarakhand."

साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निम्नवत् संलग्नक इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं जो कि संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

संलग्नक-1 देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र परिसर कक्ष सं0-01 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय भवन का नवीनीकरण हेतु वर्तमान भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु Ex post facto appraisal for diversion हेतु प्रतिवेदन।

संलग्नक-2 केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :- 842/12-1

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश।

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Annexure –I

परियोजना का नाम:- देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत ऋषिकेश के IDPL(वीरभद्र) परिसर कक्ष सं १ में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन का नवीनीकरण हेतु वर्तमान भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु पश्चात् स्वीकृति (Ex Post facto appraisal for diversion of present land) वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव

प्रतिवेदन

- 1. भूमिका :-** केन्द्रीय विद्यालय भारतमें प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस की शुरुआत 1965 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। इस समय भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1,128 अथवा इस से अधिक है। इस के अतिरिक्त विदेश में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित स्वायत्त संस्था केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश इसी संगठन का अंग है जो ऋषिकेश में वर्ष 1978 से समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है। प्रारंभ में यह IDPL(वीरभद्र) द्वारा संचालित था परन्तु IDPL (वीरभद्र) के अनुरोध पर वर्ष 2001 में इसे बंद कर दिया गया। बाद में यह विद्यालय वर्ष 2003-2004 में सिविल सेक्टर के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रयोजन पर पुनः खोला गया तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है जिसका व्यय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालय के उद्देश्य:- केन्द्रीय विद्यालयों के प्रमुख चार मिशन इस प्रकार हैं -

- I. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- II. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना।
- III. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना।
- IV. बच्चों में राष्ट्रीय एकता और 'भारतीयता' की भावना का विकास करना।

- 2. योजना / प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण :-** ये योजना पूर्ण रूप से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) द्वारा संचालित की जा रही है। माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री के पत्र दिनांक के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि उपलब्ध कराने की बात राज्य सरकार को लिखी गयी है। समस्त राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय

हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है। इस परियोजना की भूमि को IDPL (वीरभद्र) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी किया गया है।

3. **योजना / प्रस्ताव का उद्देश्य :-** इस प्रस्ताव का उद्देश्य देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के IDPL (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं. १ में संचालित हो रहे केंद्रीय विद्यालय के पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तांतरण है ताकि नव भवन का निर्माण पूरी सुविधा एवं नव-मानकों के अनुरूप किया जा सके। इस विद्यालय में लगभग ११०० बच्चे अध्ययनरत हैं जिनमें सैन्य एवं साधारण आर्थिक क्षमता वाले परिवार के बच्चे ज्यादा संख्या में हैं (प्रवेश दिशानिर्देश संलग्न है)। इन परिवारों के बच्चों के लिए यह विद्यालय एक वरदान है। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण के बाद संगठन के द्वारा इसमें नव भवन का निर्माण किया जाएगा एवं विद्यालय अपनी पूर्ण सुविधाओं के साथ जनता को समर्पित हो जाएगा।
4. **वित्तीय व्यवस्था/ योजना का बजट :-** इस परियोजना का बजट केंद्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था) के नियमों के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ही प्रदान किया जायेगा।
5. **समस्याएँ जिनका समाधान होगा :-** इस भूमि के हस्तांतरण से केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा एवं वर्तमान विद्यार्थियों को पूर्ण गुणवत्ता युक्त नव विद्यालय भवन का लाभ मिल पायेगा साथ ही साथ भविष्य में अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा।
6. **योजना / परियोजना का औचित्य / सस्टेनेबिलिटी :-** केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश वर्ष 1978 से निरंतर वीरभद्र, ऋषिकेश एवं आसपास के समाज को अपनी सेवाएँ दे रहा है। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नव भवन निर्माण होने से न केवल वर्तमान के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि ऋषिकेश एवं इसके आस पास के क्षेत्र में एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल का निर्माण करने में मदद मिलेगी एवं भविष्य में हजारों परिवारों के लिए एक सरल, सुगम एवं उचित दर पर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी।
7. **विद्यालय की वर्तमान स्थिति :-** वर्तमान में विद्यालय, IDPL (वीरभद्र) ऋषिकेश के द्वारा प्रदत्त भवन में चल रहा है, जिसका नव निर्माण किया जाना आवश्यक है परन्तु इस पर नव निर्माण कार्य करना नियमों के अधीन संभव नहीं है। वर्ष 2010 से 2016 के बीच विद्यालय भवन सुरक्षित न होने के कारण बंद होने की स्थिति में आ गया था परन्तु विद्यालय की प्राचार्या एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भवन की मरम्मत संभव हुई और विद्यालय बंद होने की स्थिति से उबर पाया। माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल की सांसद निधि से भवन की छत का मरम्मत कार्य किया गया एवं माननीय विधायक एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा विद्यालय की आंतरिक मरम्मत करवाई गई।

8. **भूमि की उपलब्धता की स्थिति :-** वर्तमान भूमि देहरादून वन प्रभाग के वीरभद्र के कक्ष संख्या 1 के अंतर्गत आती है और इसके लिए IDPL (वीरभद्र) ऋषिकेश के द्वारा वन विभाग को केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वर्तमान भूमि का संयुक्त प्रारम्भिक सर्वेक्षण वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। वर्तमान विद्यालय भूमि 2.41 हे० की है एवं इसके चारों तरफ से 5 फीट की बाउंड्री वॉल का घेराव है तथा इसमें 116 पेड़ मिश्रित प्रजाति के हैं जिनका **पातन नहीं** किया जाना है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार विद्यालय भूमि के लिए कम कम 2.1 हे० (लगभग 5 एकड़) की आवश्यकता है बाकी के बचे हुए भूमि पर ग्रीन बेल्ट, कम्पोजिट पिट, औषधि बाग का निर्माण किया जायेगा।
9. **रोजगार की संभावना :-** नव भवन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 700 दिनों तक 200 कुशल/अर्ध कुशल लोगों को रोजगार मिलेगा।


प्रयोक्ता एजेंसी



केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश
KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH
CBSE Affiliation No : 3500034 School Code: 84070
दूरभाष /Phone No.: 0135 – 2973317
वेबसाइट/Website: <https://rishikesh.kvs.ac.in>
ईमेल/Email: kvrishikesh.ppl@gmail.com



F-1392350/2025-26/KVR

दिनांक: 23 जुलाई, 2025

ANNEXURE-II

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश की पृष्ठभूमि।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं।

- महोदय, आपको इस महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट विद्यालय के रूप में हुई थी जिसका संचालन आई.डी.पी. एल के द्वारा हो रहा था। परन्तु बाद में आई.डी.पी.एल ने वर्ष 1996 में प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्याओं के कारण विद्यालय को प्रोजेक्ट क्षेत्र से परिवर्तित कर सिविल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को हस्तान्तरित करने हेतु पत्राचार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। (पत्र संलग्न है।)
- भूमि हस्तांतरण संबंधी सहमति न बनने के कारण विद्यालय को वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया था। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश से केन्द्रीय विद्यालय रायवाला स्थानान्तरित कर दिया गया था। परन्तु बाद में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं मानवसंसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इस विद्यालय का सिविल विद्यालय के रूप में दिनांक-29/03/2003 को आई.डी.पी.एल. कैम्पस ऋषिकेश में पुनः संचालन आरम्भ कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)
- वर्ष 2003 में आई.डी.पी. एल के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विद्यालय भूमि, भवन एवं स्टॉफ क्वार्टर सौंपने के संबंध में CPWD के मानकों के अनुसार एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसके अनुसार केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को 21 स्टॉफ क्वार्टर और विद्यालय भूमि भवन को हस्तांतरित करने के विषय में उल्लेख किया गया था। मसौदे के अनुसार 21 स्टॉफ क्वार्टर आवंटित करने पर सहमति बन गई थी परन्तु विद्यालय भूमि-भवन के हस्तांतरण पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं आई.डी.पी.एल के मध्य सहमति नहीं बन पाई थी। (पत्र संलग्न है।)
- सहमति न बनने का कारण यह था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार विद्यालय हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध होनी चाहिए थी। जिसका उल्लेख आई.डी.पी. एल. के द्वारा तैयार किए गए मसौदे में नहीं था।
- आई.डी.पी.एल. अधिकारियों के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को यह सुझाव दिया गया कि निःशुल्क भूमि की उपलब्धता हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से अनुमति हेतु पत्राचार करें। केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु उक्त मंत्रालय से पत्राचार किया गया।
- दिनांक 17/03/2015 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान कर दिया गया था। (पत्र संलग्न है।)

- केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश भी एक शैक्षणिक संस्थान है जिससे सामाजिक हित जुड़ा हुआ है अतः उक्त तथ्य को आधार मानकर विद्यालय को भूमि हस्तांतरित किए जाने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।
- महोदय, केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। जो कि, कम शुल्क में उच्चगुणवत्तायुक्त तथा सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस विद्यालय में वर्तमान में 1100 के लगभग छात्र अध्ययनरत हैं और यह विद्यालय वन विभाग की भूमि पर स्थित है। विद्यालय का संचालन न होने पर इन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक सकता है।
- महोदय, भूमि आवंटित न होने के कारण सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ नहीं की जा रही है।
- महोदय, विद्यालय-भूमि वन-विभाग की होने के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं विद्यार्थियों के हितार्थ विविध शैक्षणिक सुविधाओं के कार्यों पर खर्च नहीं कर पा रहा है।
- महोदय, उपरोक्त विषय से संबंधित सभी दस्तावेजों को पुनः आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर भावपूर्ण एवं सकारात्मक चिन्तन कर छात्रों के भविष्य, परिवारों की चिन्ता, क्षेत्र की प्रगति, विभाग एवं प्रशासन की गरिमामयी प्रतिष्ठा तथा वर्तमान सरकार की लोकहितैषिणी छवि को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को वन-विभाग से केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश को शीघ्रातिशीघ्र हस्तांतरित करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें।



(श्रीमती उर्मिला)
प्राचार्या

कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

✉ E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

☎ Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:- 51 / 1जी-5095 (रा0रा0प्रा0) : देहरादून: दिनांक: 09 जुलाई, 2025

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1 प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून। | 2 प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी। |
| 3 प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी। | 4 प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून। |
| 5 अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी। | 6 अधिशासी अभियन्ता,
जमरानी बाँध निर्माण खण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल। |

विषय :- पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) of 24 June, 2025-reg की बैठक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि दिनांक 24.06.2025 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Fortnightly Regional Coordination Meeting की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरणों में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुये भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इन महत्वपूर्ण प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके।

संलग्न-भारत सरकार की बैठक का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या:- 51 / 1जी-5095 (रा0रा0प्रा0) तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- उप वन महानिदेशक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय-25 सुभाष रोड, देहरादून को उनके उक्त पत्र दिनांक 25.02.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

फाइल संख्या : IRO-DDN/FRCM/01/2022

दिनांक: As per E-sign

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24th
जून, 2025 को आयोजित

पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ०आर०सी०एम०) का कार्यवृत्त

**MINUTES OF THE FORTNIGHTLY REGIONAL COORDINATION
MEETING (FRCM) OF REGIONAL OFFICE, MoEF&CC, DEHRADUN
HELD ON 24th June, 2025**

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (FRCM) दिनांक 24 June, 2025 को अपराह्न 3:00 बजे श्रीमति नीलिमा शाह (भा०व०से०), सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे-

Sl.No.	Name	Designation
1.	Smt. Neelima Shah, IFS	Assistant Inspector General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
2.	Shri Tarun Sridhara, IFS	DFO, Kedarnath Wildlife Division (Through VC)
3.	Shri Ashutosh Singh, IFS	DFO, Pithoragarh
4.	Shri D. S. Martoliya, IFS	DFO, Nandadevi National Park (Through VC)
5.	Shri Sarvesh Kumar Dubey, IFS	DFO, Badrinath Forest Division (Through VC)

6.	Shri D P Baluni, IFS	DFO, Uttarkashi Forest Division (<i>Through VC</i>)
7.	Shri Devendra Pundir, IFS	DFO, Upper Yamuna Forest Division, Barkot (<i>Through VC</i>)
8.	Shri K.P.S. Chauhan	SO, Representative of PCCF-cum-Nodal Officer (FCA), Govt. of Uttarakhand
9.	Shri Shankar Rana	Consultant, PMGSY
10.	Representatives of the PMGSY, PWD, NHAI, BRO and GREF.	

At the outset, Mrs. Neelima Shah, AIGF, welcomed all participants in the meeting and further forest diversion related matters/ proposals as desired/ proposed by the State Government/ Project Proponents/ User Agencies were discussed in the meeting:

Agenda Item No. 01

Proposal for renewal of lease of 2.41 ha forest land for Kendriya Vidhyalaya School (KVS), Rishikesh in favour of Kendriya Vidyalaya Rishikesh, IDPL, Virbhadra, Rishikesh, Uttarakhand within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, in Dehradun District of Uttarakhand (File no. FP/UK/SCH/ 40755/2019).

The proposal was discussed with the User Agency and the DFO, Dehradun Forest Division. The user agency gave the following information on KVS, Rishikesh, IDPL:

1. The DFO, Dehradun submitted that total 799 ha of forest land was granted to IDPL on lease before 1980.
2. The school was established in year 1978 (as per the submitted school register) as a project school to facilitate the educational needs of wards of IDPL employees in the campus of IDPL.
3. At that time maintenance and financial responsibilities were initially managed by IDPL.
4. In the year 2000, due to financial issue, the IDPL was unable to provide maintenance and financial responsibilities due to which school was closed down.

5. Again, on a lot of public and local administration demand, the school was reopened in the year 2003.
6. The Principal (KVS) submitted the original admission register from 1978 as proof of historical presence, but no lease deed/certificate or land transfer documents or any kind of request letter for opening of KVS from IDPL were available with the user agency.
7. The DFO Dehradun clarified that the original lease was granted to IDPL for 50 years of 799 ha forest area. After expiry of lease given to IDPL, about 500 ha area has been received by Forest Department. Remaining area has been encroached by employees/villagers and the said area is under sub-judice.
8. The KVS and other institutions (such as the Income Tax office and an Inter College etc) are also falls in the said encroached area.
9. The Principal (KVS) submitted that after several meetings with forest officials (CF, DFO and RFO), no supporting documents have been found due to their unavailability.
10. The Principal (KVS) also mentioned that school maintenance is currently overseen by the SDM (Sadar).
11. Currently, the IDPL lease has been expired in year 2021 and the KVS, Rishikesh submitted a renewal of lease proposal in 2019 before expiry of the IDPL lease.

After detailed discussion, it was found that the User agency has no any previous lease documents nor any kind of request letter from IDPL for opening of KVS but it is observed that the school is running since 1978. The user agency is instructed to change the proposal title from "Renewal" to "Post-facto-approval for diversion" in all relevant documents and Parivesh portal. The User Agency shall also submit a brief note outlining the chronological background history. A fresh proposal must be submitted as per current Rules and Regulations.

Agenda Item No. 02

Diversion of 4.879 ha of Forest Land for Construction of road from Village

Margaon-Jaspur-Chamiyari to Ulan motor road in distt Uttarkashi block Chinyalisaur in favour of PWD within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, Dehradun District of Uttarakhand. (File no. FP/UK/ROAD/20224/2016).

The proposal was discussed with the concerned user agency, who were present in person. The user agency informed that they have submitted the revised amount of Net Present Value (NPV); however, they have not yet received Stage-II clearance.

*After detailed discussion, it was observed that the User Agency has deposited additional/revised amount of NPV in CAMPA fund but the same reflects as **UNPAID** on Parivesh portal. Therefore, the User Agency shall deposit the additional/revised amount of NPV in CAMPA fund and ensure that the same reflects as **PAID** on Parivesh portal.*

Agenda Item No. 03

Diversion of 17.72 ha of Forest Land for construction of Tarai and Chakpheri feeder canals under Jamrani Dam Multipurpose Project in favour of Irrigation Department within the jurisdiction of Haldwani Forest Division, in Nainital District of Uttarakhand. (File no. FP/UK/Canal/ 498497/2024).

The proposal was discussed with the concerned user agency, who joined the meeting via video conference (VC). The user agency informed that the Haripura canal was constructed prior 1980. Further, the user agency and the DFO concerned gave the following details regarding the project:

1. The Jamrani Dam is a Multipurpose Project and proposed on the Gola River in Nainital district. The Jamrani Dam was constructed prior to 1980 alongwith Haripura canal. The said land has been transferred to Irrigation Department prior to 1980.
2. Due to some reasons, the water supply was not carried out in Haripura canal till.
3. In between the period, there is many of natural trees grown in the canal area and this time total number of trees are 3881. Out of this, the Irrigation Department seeking approval for felling of 2567 numbers of trees from State Forest Department.

4. The User Agency also submitted that the 351.55 ha of forest land is already diverted to User Agency on 16.01.2023 by MoEF&CC, New Delhi.

The User Agency requested that the tree felling in the canal area is necessary to start water flow in canal.

After detailed discussion, the Regional Office, MoEF&CC observed that the proposal does not involve any kind of diversion of forest land and involves only felling of trees. Thereafter, the user agency was advised to submit the proposal to State Forest Department, for further consideration and necessary approval.

The meeting ended with a vote of thanks.

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 01-07-2025
16:10:39

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

वितरण:

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून ।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।